न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम), जोधपुर

पीठासीन अधिकारी श्री जवाहर चौधरी, आर.ए.एस.

राजस्व अपील सं. 147 / 2025
जीसीएमएस सं. 2025 / 429

अपीलांट्स:–

1. शेसाराम पुत्र रामुराम
2. श्रीमती मीरो देवी पत्नी मगाराम
   जातियान जाट निवासी ग्राम गोदेलाई, तहसील चामू, जिला जोधपुर।

बनाम

रेस्पोंडेंट:–

तहसीलदार, चामू, जिला जोधपुर।

अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विरूद्ध आदेश तहसीलदार चामू द्वारा कमांक राजस्व / 2025 / 484 दिनांक 17.07.2025 को पारित किया गया।

उपस्थिति:–

अधिवक्ता श्री रूघाराम चौधरी (अपीलांट्स की ओर से)

निर्णय **दिनांक 20.02.2026**

1. यह अपील राजस्थान टिनेन्सी एक्ट 1955 की धारा–225 के अन्तर्गत, तहसीलदार चामू, जिला जोधपुर द्वारा जारी नोटिस क्रमांकः राजस्व / 2025 / 484 दिनांक 17.07.2025 के विरूद्ध इस न्यायालय में दिनांक 07.08.2025 को पेश की गई है।
2. प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर, तहसीलदार चामू, जोधपुर को नोटिस जारी किया गया तथा प्रकरण से सम्बधित अभिलेख तलब किया गया, जो पत्रांक राजस्व / 2025 / 38 दिनांक 27.01.2026 से पांच पृष्ठों में कार्यालय में दिनांक 02.02.2026 को प्राप्त हुआ।
3. अपील मीमों में अंकित अभिवचनों अनुसार प्रकरण के सक्षिप्त एवं सारवान तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम गोदेलाई, पटवार हल्का गोदेलाई तहसील चामू में अपीलांट सं 01 की खातेदारी भूमि खेत खसरा नम्बर 770 तथा अपीलांट संख्या 02 की खातेदारी भूमि खेत खसरा न. 771 आई हुई है। ग्राम के कुछ लोगों ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय सुरक्षा सप्ताह 2025 पंचायत समिति चामू में प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि गोदेलाई चामू से देचू जाने वाली सड़क में से, गोदेलाई से

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

रूणएरियां जाने वाली कटाण रास्ता बंद है, जिससे बच्चों को स्कूल जाने में एवं आमजनता को आने जाने में समस्या है। इसके अलावा कटाण रास्ता नहीं है। जिस पर पटवारी गोदेलाई ने दिनांक 08.07.2025 को मौका रिपोर्ट तैयार की। तहसीलदार चामू ने पटवारी की रिपोर्ट एवं शिकायत प्रार्थना पत्र के आधार पर दिनांक 17.07.2025 को रास्ता खुलवाने का आदेश पारित किया जो विधि विरूद्ध है। आदेश क्षेत्राधिकार के बाहर मनमाना एकपक्षीय तथा विधिक प्रावधानों के विपरीत है। आदेश पारित करने से पूर्व, अपीलांट को सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया है। प्रार्थना पत्र में रास्ता बंद करने वालो के नाम नहीं है। गांव वालों को प्रार्थना पत्र पेश करने का अधिकार ही नही था। विधिक प्रक्रिया अपनाकर रास्ता खुलवाने की कार्यवाही करनी चाहिए थी। प्रत्यर्थी ने अपने पद का दुरूपयोग किया है। अतः अपील स्वीकार की जाकर, आदेश दिनांक 17.07.2025 को अपास्त किया जावे।

4. प्रकरण पर अपीलांट की एकपक्षीय बहस सुनी गई। प्रत्यर्थी की ओर से कोई उपस्थित नहीं है।

5. अपीलांट्स के विद्वान अधिवक्ता श्री रूघाराम चौधरी ने अपील मीमों में अंकित अभिवचनों को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलाधीन आदेश तहसीलदार चामू द्वारा, अपीलांट्स पर बिना किसी तरह का नोटिस जारी किए एवं सुनवाई का अवसर दिए बिना एक पक्षीय अवैध रूप से पारित किया है, जो मनमाना एवं अन्यायपूर्ण है तथा अपीलांट्स के सुनवाई के प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के खिलाफ है। अतः धारा 225 के तहत प्रस्तुत अपील को स्वीकार किया जाकर, अपीलाधीन आदेश अपास्त किया जावे।

6. हमने पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख तथा तहसीलदार चामू से प्राप्त अभिलेख का अवलोकन किया तथा विद्वान अधिवक्ता द्वारा दौराने बहस प्रस्तुत कथनों एवं तर्को पर मनन किया।

7. (a) तहसीलदार चामू से प्राप्त अभिलेख अनुसार दिनांक 02.07.2025 को गोदेलाई कैम्प में भूराराम, रिड़मलराम व हनुसान ने तहसीलदार के नाम चामू से देचू जाने वाली सड़क में से गोदेलाई से रूणएरिया जाने वाला कटाण रास्ता बंद होना बताया एवं खुलवाने की प्रार्थना के साथ प्रार्थना पत्र पेश किया। तहसीलदार ने कैम्प में ही पत्रांक 49 दिनांक 02.07.2025 से मूल शिकायती प्रार्थना पत्र पटवारी, गोदेलाई को आवश्यक कार्यवाही कर रिपोर्ट करने हेतु भेज दिया। पटवारी ने दिनांक 08.07.2025 को मौका फर्द तैयार की जिसके अनुसार ग्राम गोदेलाई का ख.

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

नं. 1044/771 किस्म गै.मु. रास्ता, रकबा 0.0721 हैक्टर दर्ज है। मौके पर रास्ता बंद पाया गया। रास्ता खोलने हेतु खातेदारों से समझाइश की गई, परन्तु खातेदारों ने सीमाज्ञान कराए बिना रास्ता खोलने से इन्कार कर दिया। रास्ता सहखातेदारी में दर्ज है, जिसे खुलवाने हेतु राजस्व टीम व पुलिस इमदाद मांगी गई। महिलाओं द्वारा विवाद किया जाने की संभावना भी व्यक्त की गई। रिपोर्ट पर पटवारी सहित कई व्यक्तियों के हस्ताक्षर है। उक्त मौका फर्द के साथ, पटवारी गोदेलाई ने दिनांक 01.08.2025 को पालना रिपोर्ट तहसीलदार चामू को प्रस्तुत की, जिस पर भू.अ. निरीक्षक के भी हस्ताक्षर है। रिकार्ड पर उपलब्ध नकल जमाबंदी खाता सं. 82 ख.नं. 1043/771 बारानी ।। एवं ख.नं. 1044/770 गै.मु. रास्ता खातेदारी में दर्ज है, जिसमें अपीलांट्स के नाम नहीं है।

(b)उक्तानुसार रिपोर्ट प्राप्त होने पर तहसीलदार चामू ने पंत्राक राजस्व/2025/484 दिनांक 17.07.2025 को निम्नानुसार कार्यालय आदेश जारी किया है:–

कार्यालय आदेश

पंडित दीनदयाल उपाध्याय सम्बल पखवाड़ा 2025 में दिनांक 02.07.2025 को ग्राम पंचायत मां सतीनगर में आयोजित शिविर में ग्रामवासी गोदेलाई द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं पटवारी हल्का गोदेलाई की मौका रिपोर्ट अनुसार ख.नं. 1044/771 किस्म गै.मु. रास्ता राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। उक्त रास्ता मौके पर बंद पाया गया है। रिकॉर्डेड सार्वजनिक रास्ता सुचारू रूप से खुलवाने हेतु, राजस्व टीम का सर्वे दल गठित किया जाता है–

1. श्री चुतराराम, निरीक्षक भू. अ. चामू
2. श्री श्रवणराम पटवारी, गोदेलाई
3. श्री जसवन्त सिंह, पटवारी लोडता अचलावता

आप रिकॉर्ड सहित मौके पर उपस्थित होकर, उक्तानुसार पालना कर रिपोर्ट अधोहस्ताक्षरकर्ता को प्रस्तुत करे।

-sd-
तहसीलदार, चामू

उक्त आदेश का अवलोकन करने से स्पष्ट है कि ख.नं. 1044/771 गै.मु. रास्ता के रूप में दर्ज है तथा रास्ता खुलवाने हेतु राजस्व टीम का सर्वे दल गठित किया है तथा तहसीलदार ने टीम को मौके पर उपस्थित होकर उक्तानुसार पालना रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए है। टीम को रास्ता खुलवाने का आदेश स्पष्ट रूप से

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

नहीं दिया है। इसके अतिरिक्त तहसीलदार से प्राप्त रिकार्ड के साथ विधिवत रूप से प्रकरण दर्ज रजिस्टर करके आदेशिका में आदेश भी दर्ज नहीं है। इससे स्पष्ट है कि तहसीलदार ने विधिक प्रक्रिया का पालना नहीं किया है।

(c) ख.नं. 1044/771 के सहखातेदार किलाराम, किशनाराम, गंगाराम, चूनाराम, चेनाराम, जेठाराम, डूंगरराम, देवाराम, धाउ, पेमाराम, पोकरराम, बीरमाराम, भंवरलाल, भोमाराम, मगाराम, राजों, हनुमानराम, हरजीराम को जों पत्रावली पर उपलब्ध जमाबंदी खाता सं. 82 में सहखातेदार दर्ज है, को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का पर्याप्त समय नही दिया है तथा एकपक्षीय आदेश पारित किया है, जो विधि प्रावधानों के विपरीत है तथा अभिलिखित सहखातेदारान के सुनवाई के अधिकार का स्पष्टतः उल्लंघन है। पटवारी रिपोर्ट अनुसार खातेदार सीमाज्ञान चाहते है।

उक्त के अतिरिक्त आदेश दिनांक 17.07.2025 से यह भी स्पष्ट नहीं हो रहा है कि तहसीलदार ने आक्षेपित आदेश किस विधि के, कौन से प्रावधान के तहत पारित किया है।

(d) अपीलांट शेषाराम स्वयं को ख.नं. 770 की भूमि का खातेदार बता रहा है परन्तु तहसीलदार ने ख न 1044/771 गै.मु. रास्ता को खुलवाने बाबत राजस्व टीम का गठन किया है। अतः शेषाराम आक्षेपित आदेश से प्रभावित ही नहीं है तथा न ही प्रभावित होने के कारणों का अपील मीमों में अंकित किया है। अतः शेषाराम की अपील संधारण योग्य नही है।

(e) इसी प्रकार अपीलांट श्रीमती मीरोदेवी पत्नी मगाराम स्वयं को ख.नं. 771 की भूमि की खातेदारी बता रही हैं, परन्तु आक्षेपित आदेश ख.नं. 1044/771 की गै.मु. रास्ता की भूमि से संबंधित है। उसमें अभिलिखित सहखातेदारों में मीरा देवी का नाम नहीं है। अतः मीरादेवी भी आक्षेपित आदेश से व्यथित नहीं है।

8. उपरोक्त विवेचनानुसार अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन एवं बलहीन पाई जाने के कारण अस्वीकार योग्य है।

आदेश

9. परिणामतः अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत अपील अस्वीकार की जाती है।

10. निर्णय की प्रति तहसीलदार चामू को भेजकर निर्देश दिए जाते है कि ग्राम गोदेलाई के ख.नं. 1044/771 गै.मु. रास्ता को पटवारी ने बंद होना बताया है, आप ख.नं. 1044/771 की भूमि का सर्वप्रथम राजस्व टीम से सही एवं सटीक सर्वे करावे तथा रास्ता का सही लोकेशन निर्धारित करे। अगर सही लोकेशन के निर्धारण के पश्चात

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

उस पर अतिक्रमण पाया जाता है तो सभी सहखातेदारों को अतिक्रमण हटाने हेतु उचित समय का नोटिस देकर, सुनवाई का अवसर प्रदान करे एवं विधिक प्रक्रिया अपनाकर अतिक्रमण पाया जाने पर बेदखली की कार्यवाही विधि अनुसार एक माह में सम्पन्न करे ताकि आम जनता के लिए अभिलिखित रास्ता आवागमन हेतु उपलब्ध हो सके।

11. निर्णय की प्रति के साथ मूल अभिलेख तहसीलदार चामू हो लौटाया जावे।
12. मूल अपील को अस्वीकार करने के कारण स्थगन प्रार्थना पत्र भी खारिज किया जाता है।
13. पत्रावली बाद तामिल एवं तकमील फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। नंबर से कम हो।

(जवाहर चौधरी)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर (प्रथम),
जोधपुर।

यह निर्णय आज दिनांक 20.02.2026 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(जवाहर चौधरी)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर (प्रथम),
जोधपुर।